तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	एकल–पीठ **श्री पंकज नरूका, सदस्य** **उपस्थित :** श्री अभिषेक छाबडा, अभिभाषक प्रार्थी । श्री आर.एस.बराड, अभिभाष केवियटकर्ता। **आदेश** हस्तगत् निगरानी याचिका राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा–84 न्यायालय उपखंड अधिकारी अनूपगढ द्वारा प्रकरण सं. 32/2021 कृष्णलाल आदि बनाम बलराम आदि मे पारित आदेश दिनांक 12–4–2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। निगरानी प्रार्थना पत्र अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण द्वारा मूल प्रार्थना पत्र अंतर्गत शर्त सं. 8(2) राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेशन) शर्त 1955 के साथ एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सीपीसी न्यायालय उपखंड अधिकारी अनूपगढ के समक्ष प्रस्तुत कर विवादित आराजी के सबंध में अंतरिम स्थगन प्रदान किये जाने का निवेदन किया। जिसे उपखंड अधिकारी अनूपगढ ने अपने आदेश दिनांक 12–4–2021 से अस्वीकार कर दिया। जिससे व्यथित होकर यह निगरानी मंडल में पेश की गई है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि प्रार्थीगण ग्राम आबादी के आमजन के आवागमन की समस्याओं को देखते हुये पूर्व में मुताबिक राजस्व रिकोर्ड किला नंबर 2021 व 21 के 4–4 बिस्वा सडक को स्वीकृत करवाना चाहते है एवं वर्तमान में निर्मित एवं चालू सडक को भी न्यायहित में स्वीकृत करवाना चाहते है। लेकिन अप्रार्थी सं.1 उक्त चल रही सडक को बिना किसी विधिक अधिकार के पंचायत विभाग के अधिकारियों से मिली भगत एवं सांठगांठ कर तुडवाने को प्रयासरत है। यदि अप्रार्थी अपने मनसुबे में कामयाब हो गया तो	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	प्रार्थीगण एवं गांव के अन्य आमजन को गावं में आने जाने के लिये असुविधा होगी तथा राज्य सरकार द्वारा सडक बनाने में वहन किये गये रूपयों का भी आर्थिक नुकसान होगा। प्रथम दृष्ट्या प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन पूर्णतया प्रार्थीगण के पक्ष में है। ऐसी स्थिति में उपखंड अधिकारी को विवादित आराजी पर अंतरिम निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक था किंतु उन्होंने प्रार्थीगण का अंतरिम निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने में त्रुटि कारित की है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर उपखंड अधिकारी अनूपगढ का आदेश निरस्त किया जावे। उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने बहस में कहा कि उपखंड अधिकारी द्वारा पारित आलोच्य आदेश के विरूद्ध यह निगरानी पेश की गई है जो भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 84–ए अनुसार पोषणीय नहीं है। उपखंड अधिकारी का आदेश अंतरिम आदेश होकर निर्णीत प्रकरण की परीभाषा में नहीं होने के कारण उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी एवं स्थगन प्रार्थना पत्र ग्राह्यता के स्तर पर ही खारिज किया जावे। विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली के साथ संलग्न अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का आद्योपांत अवलोकन व अध्ययन किया। आलोच्य आदेश में स्पष्टतः अंकित है कि ''प्रकरण में प्रार्थीगण ने अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का निवेदन किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, प्रश्नगत भूमि से सबंधित चल रहे प्रकरण, जिला परिषद कार्यालय, लोकायुक्त कार्यालय से जारी पत्रों के दृष्टिगत मामला गंभीर प्रकृति का है। इसलिये अप्रार्थी का लिखित जवाब प्राप्त होने तक एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता''	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	अर्थात आलोच्य आदेश के माध्यम से विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् आदेश पारित करते हुये ऐसी निषेधाज्ञा एकपक्षीय रूपसे दिये जाने से इंकार कर दिया। निश्चित ही यह न्यायालय के विवेक शक्ति के अधीन है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायिक विवेक व मस्तिष्क का प्रयोग कर अंतरिम आदेश पारित किया है और अप्रार्थी का जवाब प्राप्त होने तक अस्थाई निषेधाज्ञा से इंकार किया है। इस प्रकार उक्त आदेश अंतिम आदेश नहीं है। भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 84–ए अनुसार अंतरिम आदेश के विरूद्ध निगरानी पोषणीय नहीं है। उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति की दृष्टि से हस्तगत् निगरानी पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। परिणामतः उपखंड अधिकारी अनूपगढ के आदेश दिनांक 12–4–2021 के विरूद्ध प्रस्तुत हस्तगत् निगरानी पोषणीयता के अभाव में ग्राहयता के स्तर पर ही खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो, नंबर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । **(पंकज नरूका)** **सदस्य**	

निगरानी / एलआर / 3104 / 2021 / श्रीगंगानगर
कृष्णलाल वगेरह बनाम बलराम वगैरह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए